

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 764 बैठक दिनांक 05/06/2024 को डॉ.पी.सी.दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. P-2/09/2023 Shri Manoj Panwar, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Chansura Sand Mine in an area of 1.30 ha. (23,400 cum per year) (Khasra No. 16), Village - Chansura, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P). [MIN/ 435223/2023.] (Referred Back)**

ADS- Referred for Agenda on 07 /06/2024

2. **Case No. P-2/503/24 Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Chansura Sand Mine in an area of 1.30 ha. (23,400 cum per year) (Khasra No. 16), Village - Chansura, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P). [MIN/ 435223/2023.] (Referred Back)**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में खनन क्षेत्र से वन क्षेत्र ईको सेंसेटिव जोन की दूरी स्पष्ट नहीं है। अतः खनन क्षेत्र से ईको सेंसेटिव जोन की दूरी स्पष्ट की जावे तथा

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में कितनी दूरी प्रतिबंधित नहीं है स्पष्ट अभिमत दिया जाए ।

ADS- खनन क्षेत्र से ईको सेंसेटिव जोन की दूरी स्पष्ट की जावें तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में कितनी दूरी प्रतिबंधित नहीं है स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

3. Case No. P-2/515/24 Shri Gayaprasad Anjne, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, 58, Phase-2, Jai Shakti Homes Narmada Wila ward no. 32, Umaria, Distt. – Umaria (M.P.) - 461331, Prior Environment Clearance for Pitaur Sand Mine in an area of 3.50 ha. (63,000 cum per year) (Khasra No. 107), Village - Pitaur, Tehsil - Manpur, District-Umaria (M.P). [MIN/ 432195 /2023.] (Reffered Back)

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में खनन क्षेत्र से वन क्षेत्र ईको सेंसेटिव जोन की दूरी स्पष्ट नहीं है। अतः खनन क्षेत्र से ईको सेंसेटिव जोन की दूरी स्पष्ट की जावें तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में कितनी दूरी प्रतिबंधित नहीं है स्पष्ट अभिमत दिया जाए ।

ADS- खनन क्षेत्र से ईको सेंसेटिव जोन की दूरी स्पष्ट की जावें तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में कितनी दूरी प्रतिबंधित नहीं है स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

4. Case No. P-2/508/24 Shri OCHAVLAL SOMANI, Owner, 375, Pratapganj marg, District - Alirajpur M.P. Prior Environment Clearance for Dolomite in an area of 4.0 ha. (40000 TPA) (Khasra No. 65, 66, 68, 69), Village- Aambuaa, Tehsil-Alirajpur, Distt. Alirajpur (M.P.).

ADS- Referred for Agenda on 07 /06/2024

5. Case No. 8605/2021. Smt. Gaindarani Yadav W/o Shri Prahlad Singh Yadav, Village - Jhaloni Kasera, Post - Goodar, Tehsil - Khaniyadhana, Dist. Shivpuri, MP. Prior

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha., M-Sand – 25000 M3/Year, Stone (Gitti) – 5000 M3/Year. (Khasra No. - 856), Village - Garethaa, Teh - Pichhore, Dist. - Shivpuri (M.P.). Ammendment in EC,

ADS- Referred for Agenda on 07 /06/2024

6. **Case No. 10910/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Dethi-2 Sand Quarry Deposit in an area of 6.433 ha. (96000 cum per year) (Khasra No. 291, 559), Village-Dethi, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP) [447463] (Reffered Back)**

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

7. **Case No. P2/131/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.632 Hectare, Khasra No.- 219, 341 in Village - Chikhahli Amadhana , Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 25864 cum per annum [MIN/446241/2023] (Reffered Back)**

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात्

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

8. **Case No. P2/139/24 PRAMOD DHABAI,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.09 Hectare, Khasra No.- 248, 141, 130 in Village - Amadhana Rayyat , Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 21420 cum per annum [MIN/446228/2023] (Reffered Back)**

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

9. **Case No. P2/143/24 PRAMOD DHABAI,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.54 Hectare, Khasra No.- 1, 1 in Village - Sontalai/Samrattdhana , Tehsil - Amla, District - Betul (MP), Maximum Production - 13296 cum per annum [MIN/446186/2023] (Reffered Back)**

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

10. Case No. P2/141/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 19.62 Hectare, Khasra No.- 01, 288. 01 in Village - Banspur/Shivsagar , Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 306072 cum per annum [MIN/446273/2023] (Reffered Back)

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

11. Case No. P2/142/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.52

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

Hectare, Khasra No.- 434, 308 in Village - Barchi , Tehsil - Amla, District - Betul (MP), Maximum Production - 6127 cum per annum [MIN/446215/2023] (Reffered Back)

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

12. Case No. 11306/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Badonkalan-D Sand Quarry Deposit in an area of 23.00 ha. (68985 cum per year) (Khasra No. 551), Village-Badaun Kalan, Tehsil-Datia, District-Datia (MP) [446457] (Reffered Back)

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

13. Case No. 11316/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Bhikampura-B Sand Quarry Deposit in an area of 16.25 ha. (48000 cum per year) (Khasra No. 278), Village-Bhikampura, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) [446552] (Reffered Back)

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

14. Case No. 11317/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Jara Sand Quarry Deposit in an area of 19.20 ha. (57000 cum per year) (Khasra No. 117), Village-Jara, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP) [446538] (Reffered Back)

सिया से प्राप्त Reffered Back प्रकरण में सेक का मत है कि- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् सिया को प्रस्तुत करेगा ।

सिया से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के आधार पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है ।

15. Case No. 9559/23 Shri Jitendra Singh Gurjar, Village-Lakhangaon, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP)-473551. Prior Environment Clearance for Deori Khurd Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (1,33,600 cum per annum) (Khasra No. - 228/1), Village - Deori Khurd, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri(MP)

ADS- Referred for Agenda on 07 /06/2024

16. Case No. P2/1017/24 Shri Mohanlal Vaswani, Director, M/s Hotel Shivansh LLP, Plot No. 47/4/2,47/5/2,47/6/2,47/4/2,47/7,63/5/2,63/6 Kasba Ujjain, Nanakheda, Harifatak Road, Dist.-Ujjain- (M.P.). 456010. Prior Environment Clearance for Hotel Shivansh LLP in an area of 0.872 ha. (23178.16 Sq.m.) at Plot No. 47/4/2, 47/5/2, 47/6/2, 47/4/2, 47/7, 63/5/2, 63/6 Kasba Ujjain, Nanakheda, Harifatak Road, Dist.-Ujjain - 456010 (M.P.). Total Plot Area – 8720 Sq.Mt., Total Built up Area – 23178.16 Sq.m. Cat. 8(a) Building Construction Projects.

ADS- Referred for Agenda on 07 /06/2024

17. Case No. P2/394/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.800 Hectare, Khasra No.- 911, in Village - GHUNAUR-1 , Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), Maximum Production - 40320 cum per annum [MIN/444880/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

ADS खनिज अधिकारी से वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

18. Case No. P2/464/24 OMKAR DUBEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 108, 01, 01, in Village - KHAMI-CHHAPARA-ATRI , Tehsil - Barghat, District - Seoni (MP), Maximum Production - 6000 cum per annum [MIN/444370/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS खनिज अधिकारी से वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

19. Case No. P2/363/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 441, in Village - Bijalgaon -1, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [MIN/454509/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये है। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे ।

20. Case No. P2/367/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 20.000 Hectare, Khasra No.- 430, in Village - Chichi -1, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 342000 cum per annum [MIN/454538/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

21. Case No. P2/359/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.000 Hectare, Khasra No.- 430, in Village - Chichli-2 , Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum [MIN/460270/2024]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

22. Case No. P2/369/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare,

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

Khasra No.- 227, in Village - Daiyat, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 90000 cum per annum [MIN/454559/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

23.Case No. P2/399/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 12.000 Hectare, Khasra No.- 565, 744, in Village - RAJARWARA, Tehsil - Vijayraghavarh, District - Katni (MP), Maximum Production - 194400 cum per annum [MIN/444948/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 565,744 (ग्रासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 12.00 हे.
स्थल	ग्राम – रजरवारा, तहसील –विजयराघवगढ़, जिला – कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम रजरवारा रेत खदान, दिनांक- 25/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा रजरवारा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,94,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,94,400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2165 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 9.51 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.51 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2165 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2165 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे अन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रजरवारा, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक-31 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 25/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 12.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.7 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.3 हे. छोड़ने पर 9.7 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 194400 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

जन सुनवाई में अवैध रेत खनन बावत् लेख किया गया है। खजिन अधिकारी द्वारा इस पर संज्ञान लिया जाये।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 194400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3200 X150 = ₹4,80,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X 500= ₹ 1,50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(5140 X50 = ₹ 2,57,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (90 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	90,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 70	60,000	6,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya	--	--

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	(Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 70 Labors - 70× 500 × 2)	-	70,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 70 workers - 70× 1500)	1,05,000	21,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	2,50,000	2,50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	17,58,000/-	8,82,700/-

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.8 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम रजरवारा के ग्रामवासियों के लिए प्रत्येक छह माह में 2,80,000 रुपये की राशि से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमे सभी ग्राम वासीयो की रक्तचाप, मलेरिया डेंगू एवं मधुमेह की निशुल्क जांच की जावेगी	2,80,000
कुल	2,80,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5140 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	3200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	5140
कुल			8640

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No. P2/376/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - Kundgaon-1 , Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum [MIN/454638/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये है। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

25. Case No. P2/370/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - Kundgaon-2 , Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [MIN/454656/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये है। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

26. Case No. P2/122/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.50 Hectare, Khasra No.- 231/1 in Village - PUNI, Tehsil - Waraseoni, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 54000 cum per annum [MIN/450603/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो वैनगंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थितिA

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री पूरन लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	231/1 (सरकारी-गैर वन भूमि)	4.50 हे.
स्थल	ग्राम- पूनी, तहसील- वारासिवनी, जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 54000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 54000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/315 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/315 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/315 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- पूनी, ग्रामसभा- पूनी, जिला- बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 17/02/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-17 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. रेत घाट से कुछ दूरी पर ही शमशान घाट, मंदिर एवं गाँव बसा हुआ हैं। पूर्व में ठेकेदार द्वारा रेत का अवैध खनन किया गया तथा रकबे के आलावा भी रेत का अवैध खनन किया गया। नल एवं कुआं भी स्थित है वहा पर। ग्राम वासियों की ओर से आपत्ति दर्ज की जाती है। 1. यह रेत खदान मोक्षधाम में है। सबकी इच्छानुसार, घाट स्वीकृत ना हो। नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जनहित में और पर्यावरण को बचाये रखने के लिए घाट स्वीकृत ना किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 4.50 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र की दक्षिण दिशा में 929 मीटर पर ब्रिज होने से एक कि. मी. छोड़ा गए । अतः सेन्ड गाईड लाईन अनुसार रेत उपलब्धता मात्रा, खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 3.0 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 2.0 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 0.5 हे. छोड़ने पर 4.0 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । अतः 48000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

उत्पादन क्षमता रेत – 48000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	105840
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	150000	15000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	135000	13500
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	16000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16000
9	VT Training for Labours	Nil	6400
C. Carbon Sequestration			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	100000	100000
D. Emergency Rescue Plan			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
14	Bins 2 nos	1000	-
Total		461000	364740

1. C E R मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.92 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम पुनि के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 92000.0 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति महेश्वर के बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	92000.00

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 5500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे,पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	2000
2	ग्राम छपरट के आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	3500
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव ना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27.Case No. P2/374/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.000 Hectare, Khasra No.- 164, in Village - RAWLAS, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 13000 cum per annum [MIN/454620/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये है। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

28. Case No. P2/114/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.75 Hectare, Khasra No.- 706 in Village - BUDBUDA, Tehsil - Waraseoni, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 83700 cum per annum [MIN/450597/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो चंदन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थितिA

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री पूरन लक्षकार, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	706 (सरकारी-गैर वन भूमि)	7.750 हे.
स्थल	ग्राम- बुदबुदा, तहसील- वारासिवनी, जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 83700 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 83700 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अन्य खदानें	क्रमांक/खनिज/2023/669 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/669 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/669 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- बुदबुदा, ग्रामसभा- बुदबुदा, जिला- बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 11/11/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-14 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 27/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 2. रेत घाट से कुछ दूरी पर ही शमशान घाट, मंदिर एवं गाँव बसा हुआ है। पूर्व में ठेकेदार द्वारा रेत का अवैध खनन किया गया तथा रकबे के आलावा भी रेत का अवैध खनन किया गया। नल एवं कुआं भी स्थित है वहा पर। ग्रामवासियों की ओर से आपत्ति दर्ज की जाती है। 3. यह रेत खदान मोक्षधाम में है। सबकी इच्छानुसार, घाट स्वीकृत ना हो। नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जनहित में और पर्यावरण को बचाये रखने के लिए घाट स्वीकृत ना किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 7.75 हेक्टेयर प्रस्तावित है। अतः सेन्ड गार्ड लाईन अनुसार रेत उपलब्धता मात्रा, खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 3.0 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 1.8 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 1.68 हे. छोड़ने पर 6.07 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः 83700 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

लोक सुनवाई में अवैध उत्खनन की बात कहीं गई है। अतः माईनिंग आफिसर इस संबंध में संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 83700 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें

C E R मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.43 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ

राशि (रू. में)

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

ग्राम बुदबुदा के ग्राम पंचायत के समशानघाट का नवीनीकरण हेतु 93000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	93000.00
ग्राम बुदबुदा के ग्राम पंचायत के समशानघाट का नवीनीकरण हेतु 50000.00 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	50000.00

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 05 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 9000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुंच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3000
2	ग्राम बुदबुदा के आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां।	6000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव ना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024**

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	70920
2	Pucca Approach Road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	307400	30740
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	60500	6050
5	Rainwater Harvesting Structures will be constructed nearby Grampanchayat office	100000	-
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	25000	2000
7	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	16000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	25600
10	VT Training for Labours	Nil	6400
C. Carbon Sequestration			
11	Installation of Solar Panels in the near Govt. Primary School	100000	100000
D. Emergency Rescue Plan			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	20000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	20000	2000
E. Solid Waste Management			
14	Bins 2 no's	1000	-
Total		663900	347710

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No. P2/362/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.700 Hectare, Khasra No.- 1,58, in Village - Pirpadliya, Tehsil - Sonkatch, District - Dewas (MP), Maximum Production - 10000 cum per annum [MIN/448837/2023]

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

30. Case No. P2/361/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - KUNDGAON-3, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [MIN/454521/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

31. Case No. P2/368/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - KUNDGAON-4, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [MIN/454540/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

32.Case No. P2/375/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - Patadiyataj, Tehsil - Sonkatch, District - Dewas (MP), Maximum Production - 1080 cum per annum [MIN/448842/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये है। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

33.Case No. P2/372/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 9.220 Hectare, Khasra No.- 6, 224, 271, 576, in Village - Kalukhedi, Tehsil - Sonkatch, District - Dewas (MP), Maximum Production - 1000 cum per annum [MIN/448867/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये है। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

34. Case No. P2/365/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1117, in Village - Jiwajigarh, Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 1000 cum per annum [MIN/448876/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये है। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

35. Case No. P2/463/24 OMKAR DUBEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 5.000 Hectare, Khasra No.- 265, 01, in Village - BAGDONGRI-DEVGAON , Tehsil - Keolari, District - Seoni (MP), Maximum Production - 30000 cum per annum [MIN/444350/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा नदी के अप स्ट्रीम में 350 मी. पर एक रोड ब्रिज है। अतः सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS- सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये ब्रिज कार्पोरेशन/ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

36. Case No. P2/373/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 369, in Village - KARODMAFI, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 2000 cum per annum [MIN/454659/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

37. Case No. P2/366/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.990 Hectare, Khasra No.- 1982 ,2087, in Village - Chobaradhira-B , Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 4680 cum per annum [MIN/448901/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

38. Case No. P2/398/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 3.000 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - HATHEDA, Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), Maximum Production - 45000 cum per annum [MIN/444850/2023]

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 01 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 03.00 हे.
स्थल	ग्राम – हथेडा, तहसील –विजयराघवगढ़, जिला – कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम हथेडा रेत खदान, दिनांक- 04/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा हथेडा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 45,000	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2166 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 18.51 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.51 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2166 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2166 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन शील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं। एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हथेडा, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 09/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/09/2023

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक-32 एवं पेज नं.-37 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 25/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 3.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.5 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 1.8 हे. छोड़ने पर 1.2 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 28000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 28000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

S.No.	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,26,000
1(b)	Water requirement- 3.5 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (700m in length × 5m in width)	2,10,000	42,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X 150= ₹1,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹ 75,000)	27,550
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1010X 50 = ₹ 50,500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (21 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	21,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
	iv) Noise Pollution			
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 26		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 26 Labors - 26× 500 × 2)		-	26,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 26 workers - 26× 1500)		39,000	7,800
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,20,000	1,20,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total			8,20,500/-	4,89,350/-

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.2 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,20,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम हथेडा के खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,20,000
कुल	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1150 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1010 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1010
कुल			2160
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

39. Case No. P2/395/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 7.260 Hectare, Khasra No.-17, in Village - Ganeshpur, Tehsil - Barawada, District - Katni (MP), Maximum Production - 108900 cum per annum [MIN/444557/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 17 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 7.26 हे.
स्थल	ग्राम - गणे ापुर, तहसील -बडवारा, जिला - कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय,	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गणे ।पुर रेत खदान, दिनांक- 21/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा गणे ।पुर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,08,900 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,08,900 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2163 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 12.39 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 19.65 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2163 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने ।नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2163 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदनशील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेชัน/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं। एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बडवाराए जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 20/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-25 के सरल क्रमांक-13 एवं पेज नं.-60 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हों तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 7.260 हेक्टेयर प्रस्तावित है,परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 08/01/2024 में अनुमोदित अतिरिक्त कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये हैं। खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 1.5 कि.मी. की दूर पर ब्रिज है। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.5 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 4.25 हे. छोड़ने पर 3.01 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 75000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 75000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरूकरने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,26,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

1(b)	Water requirement- 3.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (700m in length × 5m in width)	2,10,000	42,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2200X 150= ₹3,30,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹ 75,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2850X 50 = ₹ 1,42,500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (50 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	50,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 59	50,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 59 Labors -59× 500 × 2)	-	59,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 59workers - 59× 1500)	88,500	10,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	23,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000
Total		11,55,000/-	5,64,000/-

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
गणेशपुर गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए।	1,00,000
कुल	1,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2350 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2850 वृक्षों का वितरण :-

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2850
कुल			5200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

40. Case No. P2/364/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1982, in Village - Chobaradhira A, Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 4680 cum per annum [MIN/448885/2023] (MP)-462011,

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

41. Case No. P2/360/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District- Prior Environment Clearance for 7.000 Hectare, Khasra No.- 441, in Village - Bijalgaon-2, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 15000 cum per annum [MIN/460260/2024]Bhopal (MP)-462011,

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

42. Case No. P2/481/24 GAYAPRASAD ANJNE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.414 Hectare, Khasra No.-

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

75, in Village - JHALA , Tehsil - Chandia, District - Umaria (MP), Maximum Production - 61452 cum per annum [MIN/444486/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री गया प्रसाद अंजने(अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गया प्रसाद अंजने कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 75 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 3.414 हे.
स्थल	ग्राम – झाला, तहसील – चंदिया, जिला –उमरिया, (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम झाला रेत खदान, दिनांक– 15/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा झाला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 61,452 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 61,452 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1095 दिनांक 11/08/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य (02) खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 8.093 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.51 हे. है। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1095 दिनांक 11/08/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1095 दिनांक 11/08/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था /चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पतरेई के अंतर्गत ग्राम झाला जिला उमरिया के अनापत्ती पत्र दिनांक 25/08/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	उमरार नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां 1 भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक- 18 एवं पेज नं.- 77 के सरल क्रमांक- 21 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 29/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 3.414 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 3.0 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.014 हे. छोड़ने पर 1.4 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 42000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 42000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

- प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन शुरूकरने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No.	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	54,000
1(b)	Water requirement- 3.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (300m in length × 5m in width)	90,000	18,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>	3,37,500	33,750
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X 150 = ₹1,50,0 00)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(250X5 00 = ₹ 1,25,00 0)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1250X 50 = ₹ 62,500)	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (29 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	29,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 34		30,000	6,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 34 Labors - 34× 500 × 2)		-	34,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 34 workers - 34 × 1500)		51,000	10,200
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total			7,59,500/-	3,99,950 /-

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,30,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम झाला के खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,30,000
कुल	1,30,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1250 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1250 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	250
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1250
कुल			2500
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

43. Case No. P2/480/24 GAYAPRASAD ANJNE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.024 Hectare, Khasra No.- 344, in Village - KHAIRBHAR-1 , Tehsil - Chandia, District - Umaria (MP), Maximum Production - 36432 cum per annum [MIN/444469/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 3.414 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में अपस्ट्रीम पर 292 मीटर पर जल संरचना एवं ब्रिज है। लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 213 दिनांक 24/05/2024 में स्थल विशेष का विवरण नहीं दिया गया है अर्थात् किस खसरा नम्बर से संबंधित है, स्पष्ट नहीं है ।

ADS -उपरोक्तानुसार

44. Case No. P2/316/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 4.900 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - Menhda, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 16200 cum per annum [MIN/448363/2023]

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। अतः अद्यतन स्थिति की जानकारी आवश्यक है।

ADS- खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

45. Case No. P2/347/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 10.000 Hectare, Khasra No.- 1201, 1139, (new- 629, 1209), in Village - Padhora-2, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 27000 cum per annum [MIN/448343/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 09/12/2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। जिसमें 7.5 मी. बेरियर जोन छोड़ने पर ओर भी क्षेत्र कम हो जायेगा अतः अद्यतन स्थिति की जानकारी आवश्यक है।

ADS- खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

46. Case No. P2/318/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 287, in Village - BAGHELI BAHADURPUA, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 24000 cum per annum [MIN/448326/2023]Bhopal (MP)-462011

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। जिसमें 7.5 मी. बेरियर जोन छोड़ने पर ओर भी क्षेत्र कम हो जायेगा अतः अद्यतन स्थिति की जानकारी आवश्यक है।

ADS- खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

47. Case No. P2/321/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 10.960 Hectare, Khasra No.-3010/8, 3011/8, 3015/8, 3016/8, 3018/8, in Village - Indurkhi, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 6950 cum per annum [MIN/448388/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें खनन क्षेत्र के बीचों-बीच एक ब्रिज संभवतः निर्माणाधीन है। अतः वर्तमान में ब्रिज की क्या स्थिति है तथा सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

ADS- खदान क्षेत्र में वर्तमान में ब्रिज की क्या स्थिति है, तथा सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा ब्रिज कापेरिशन/ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

48. Case No. P2/325/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 21.102 Hectare, Khasra No.-2638, in Village - VIRONA, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 122612 cum per annum [MIN/448379/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

(Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 21.102 Ha.			
स्थल	Village – Virona & Tehsil – Roun, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट विरोना दिनांक - 16.02.2024			
डिया ई.सी. का विवरण	नहीं			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

(यदि लागू हो)	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1242/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 25.102 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1242/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1242/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत विरोना जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक- 57 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 26.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई ईमेज के आधार पर खदान के दोनों ओर एक कि.मी. में कोई संरचना नहीं है ।

खनन क्षेत्र सिंध नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 21.102 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु माईनिंग प्लान एवं डी.एस.आर. अनुसार गहराई 1.0 मीटर रखी गई है । खदान का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, इस हेतु नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.702 हे. छोड़ने पर 18.40 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 122612 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 122612 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	30,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	42,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 990 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	99,000	50,000
3	Plantation (22080 plants will be planted & Distribution during the first year).	16,56,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print 1000 Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
6	Water harvesting recharge structure	1,00,000	--
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 66 Labour @ 500 Rs. = 33,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 66	Nil	66,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 66 labor @1000 Rs.	66,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	10,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
14	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	24,31,000	3,91,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम विरोना के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था, टेबल कुर्सी की व्यवस्था तथा वाटर कूलर की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा हेतु	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 22080 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3680
2	अंबेडकर पार्क में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3680
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	14720

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

49. Case No. P2/317/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 19.000 Hectare, Khasra No.-534, in Village - NIWSAI 534-3, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 34200 cum per annum [MIN/448378/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है । अतः खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS- खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

50. Case No. P2/315/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 20.140 Hectare, Khasra No.- 01, 02, 9, 371, 372, in Village - NIWSAI RIDIYA-1, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 120840 cum per annum [MIN/448349/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अतः खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

ADS- खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

51. Case No. P2/319/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 12.750 Hectare, Khasra No.- 01, 02, 181, in Village - Dahema-2, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 38250 cum per annum [MIN/448385/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person -Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 12.750 Ha.			
स्थल	Village – Dahema & Tehsil – Roun, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	न्हीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	न्हीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बिलाव) दिनांक - 12.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	न्हीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 38,250 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1439/खनिज/2023 भिंड दिनांक 16.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 65.83 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1439/खनिज/2023 भिंड दिनांक 16.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1439/खनिज/2023 भिंड दिनांक 16.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला भिंड गोपालपुरा राजमार्ग स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेंवजा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 12.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 के सरल क्रमांक- 60 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई ईमेज के आधार पर खदान के दोनों ओर एक कि.मी. में कोई संरचना नहीं है। खनन क्षेत्र सिन्ध नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र के कुछ भाग जल

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

में डूबा हुआ है, जो नॉन माईनिंग क्षेत्र 3.64 हे. छोड़ने के बाद 9.11 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.5 मीटर रखी गई है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 38250 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 38250 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST		
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	30,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	42,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 730 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	73,000	50,000
3	Plantation (10,932 plants will be planted & Distribution during the first year).	8,19,900	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print - 1000 Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	1,00,000	--
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 22 Labour @ 500 Rs. = 11,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 22	Nil	22,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 22 labor @1000 Rs.	22,000	10,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	10,000
12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
14	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	15,54,900	4,32,500

3. CSR Table

सी.एस.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 तथा सी.एस.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
------------	-----------------------------------	---------------

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

1	ग्राम दहेमा के शासकीय प्राथमिक शाला में कुर्सी की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा करने हेतु	50,000
---	---	--------

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 10,932 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खसए घासए करौंदाए करंजए अर्जुन एवं जामुनए बाँसए बेरए आमए शहतूतए लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ष	1,822
2	अंबेडकर पार्क में पौधे लगाए जाएंगे	आँवलाए मुनगाए अमरूदए सीताफलए पपीताए आमए नींबूए बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1,822
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आमए हाइब्रिड बेरए आँवलाए मुनगाए सीताफलए नींबूए बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	7,288

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

52. Case No. 333/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.-2787, in Village - DHOCHRA, Tehsil - Bhind, District - Bhind (MP), Maximum Production - 23920 cum per annum

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। अतः खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे। **ADS**

53. Case No. P2/327/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.060 Hectare, Khasra No.-578, 599, 741, 787, in Village - KHERA SHYAMPURA -3, Tehsil - Bhind, District - Bhind (MP), Maximum Production - 14402.4 cum per annum [MIN/446863/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय 7.060 Ha.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

(सरकारी / निजी)				
स्थल	Village – Khera Shyampura 3 & Tehsil – Bhind, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट खैराश्यामपुरा दिनांक - 17.02.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 14,040 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1268/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1268/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1268/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खैराश्यामपुरा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-34 के सरल क्रमांक- 43 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई । खनन क्षेत्र सिंध नदी पर स्थित है तथा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। खनन क्षेत्र कुल 7.060 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 0.33 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 0.06 हे. छोड़ने पर 7.0 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 14000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

जन सुनवाई में अवैध रेत खनन बावत् लेख किया गया है । खनिज अधिकारी इस पर संज्ञान लें कि नियमानुसार खनन कार्य किया जाये। गतवर्ष की ई.सी. से संबंधित सी.ई.आर. के कार्य पूर्ण किये जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इस पर निगरानी रखी जावे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 14000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन ़ुरूकरने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST		
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	30,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 850 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	85,000	50,000
3	Plantation (8472 plants will be planted & Distribution during the first year).	6,35,400	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print 1000 Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	1,00,000	--
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	50,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	50,000	10,000
9	Occupational health Survey 10 Labour @ 500 Rs. = 5,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 10	Nil	10,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 10 labor @1000 Rs.	10,000	10,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	10,000
12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
14	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	12,20,400	3,26,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम खैराश्यामपुरा के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय के लिए	50,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा हेतु	
2	ग्राम खैराश्यामपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा हेतु	50,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 8472 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1,412
2	अंबेडकर पार्क में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1,412
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	5,648

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

54. Case No. P2/335/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.216 Hectare, Khasra No.- 809, 810, 1486 , in Village - KHERA SHYAMPURA-4, Tehsil - Bhind, District - Bhind (MP), Maximum Production - 19483 cum per annum [MIN/446916/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय Khasra No.- 809, 810, 1486 7.216 Ha.			
स्थल	Village – Khera Shyampura 4 & Tehsil – Bhind, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	न्हीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	न्हीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट खैराश्यामपुरा दिनांक - 17.02.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 19,483 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1266/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.67 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1266/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1266/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खैराश्यामपुरा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-34 के सरल क्रमांक- 43 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई । खनन क्षेत्र कुल 7.216 हेक्टेयर सिंध नदी पर प्रस्तावित है पूर्व दिशा में 704 मीटर की दूरी पर एक ब्रिज होने से एक कि. मी. तक खनन प्रतिबंधित किया गया नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.756 हे. छोड़ने पर 4.46 हे. माईनेबल क्षेत्र एवं माईनिंग प्लान अनुसार खनन कार्य हेतु गहराई 0.45 व डी.एस.आर. अनुसार 0.45 के अनुरूप कुल उपलब्ध मात्रा को देखते हुये 12000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 12000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	40,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 820 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	82,000	50,000
3	Plantation (5988 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,49,100	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print 1000 Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	1,00,000	--
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

9	Occupational health Survey 13 Labour @ 500 Rs. = 6,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 13	Nil	13,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 13 labor @1000 Rs.	13,000	10,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	10,000
12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
14	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	12,04,100	4,39,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम खैराश्यामपुरा के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा हेतु	1,00,000
2	ग्राम खैराश्यामपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा हेतु	1,00,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5988 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	998

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

2	अंबेडकर पार्क में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	998
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,992
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा </p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा </p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे </p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी </p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

55. Case No. P2/337/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 9.752 Hectare, Khasra No.-1486, in Village - KHERASHYAMPURA-2 , Tehsil - Bhind, District - Bhind (MP), Maximum Production - 7974 cum per annum [MIN/446844/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

(Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 9.752 Ha.			
स्थल	Village – Khera Shyampura 2 & Tehsil – Bhind, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	न्हीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	न्हीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (खैराश्यामपुरा) दिनांक - 17.02.2024			
डिया ई.सी. का विवरण	न्हीं			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

(यदि लागू हो)	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 7,974 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1182/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 30.354 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1182/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1182/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खैराश्यामपुरा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 के सरल क्रमांक- 61 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई । खनन क्षेत्र कुल 9.752 हेक्टेयर सिंध नदी पर प्रस्तावित है खनन क्षेत्र के बीचो-बीच ब्रिज है, इस हेतु ब्रिज से दोनों तरफ सेटबेक देने के बाद उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं के बराबर है। अतःसमिति द्वारा उत्खनन की अनुशंसा नहीं की जाती है ।

खनन क्षेत्र के बीचो-बीच ब्रिज है, इस हेतु ब्रिज से दोनों तरफ गाईडलाईन के अनुसार सेटबेक देने के बाद उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं के बराबर है। अतःसमिति द्वारा उत्खनन हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है ।

56. Case No. P2/324/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 1.702 Hectare, Khasra No.- 849, 855, 1486, in Village - KHERASHYAMPURA, Tehsil - Bhind, District - Bhind (MP), Maximum Production - 12050 cum per annum [MIN/446809/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person -Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 1.7020 Ha.
स्थल	Village – Khera Shyampura & Tehsil – Bhind, District – Bhind (M.P)

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	न्हीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	न्हीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (खेरा श्यामपुरा) दिनांक - 12.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	न्हीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 12,050 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1127/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 23.57 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1127/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1127/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला भिंड गोपालपुरा राजमार्ग स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खेरा श्यामपुरा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर ठे
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक- 48 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई । खनन क्षेत्र कुल 1.702 हेक्टेयर सिन्ध नदी पर प्रस्तावित है। खनन क्षेत्र से पूर्व दिशा में अप स्ट्रीम पर 418 मी. पर रोड ब्रिज है। इस हेतु ब्रिज से दोनों तरफ सेटबैक देने के बाद उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं के बराबर है। अतः समिति द्वारा उत्खनन की अनुशंसा नहीं की जाती है ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अतः खनन क्षेत्र के पास में ब्रिज है, इस हेतु ब्रिज से दोनों तरफ गाईडलाईन के अनुसार सेटबेक देने के बाद उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं के बराबर है। अतः समिति द्वारा उत्खनन हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है।

57. Case No. P2/338/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.-1115, 1171, in Village - Atarsuma, Tehsil - Bhind, District - Bhind (MP), Maximum Production - 3840 cum per annum [MIN/446802/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 4.00 Ha.
स्थल	Village – Atarsuma & Tehsil – Bhind, District – Bhind (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं
संशोधित माईनिंग प्लान का	नहीं

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।				
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (अतरसुमा) दिनांक - 02.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 3,840 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1125/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1125/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1125/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अतरसुमा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 के सरल क्रमांक- 42 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अगस्त 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई । खनन क्षेत्र कुल 4.0 हेक्टेयर सिंध नदी पर प्रस्तावित है। खनन क्षेत्र से पश्चिम दिशा में अप स्ट्रीम पर 34 मी. पर रोड ब्रिज है। इस हेतु ब्रिज से दोनों तरफ सेटबैक देने के बाद उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं है। अतःसमिति द्वारा उत्खनन की अनुशंसा नहीं की जाती है ।

खनन क्षेत्र के पास में अप स्ट्रीम पर 34 मी. ब्रिज है। इस हेतु ब्रिज से दोनों तरफ गार्डिलाईन के अनुसार सेटबैक देने के बाद उपलब्ध रेत की मात्रा नहीं के बराबर है। अतःसमिति द्वारा उत्खनन हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है ।

58.Case No. P2/326/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 19.770 Hectare, Khasra No.-1347,1619, 2324, 2341, in Village - Kakhara , Tehsil - Bhind, District - Bhind (MP), Maximum Production - 70579 cum per annum [MIN/446775/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

(Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 19.770 Ha.			
स्थल	Village – Kakhara & Tehsil – Bhind, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (ककहरा) दिनांक - 12.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण	नहीं			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

(यदि लागू हो)	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 70,579 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1264/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 19.770 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1264/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1264/खनिज/2023 भिंड दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला भिंड गोपालपुरा राजमार्ग स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ककहरा जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-37 के सरल क्रमांक- 74 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अगस्त 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। ईमेज अनुसार उक्त खदान 2 हिस्सों में है । उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित क्षेत्र 6.62 हे. के अधिकांश भाग में जलभराव है अतः इसमें रेत खनन की मात्रा नगण्य है । दूसरे क्षेत्र का एरिया 13.2 हे. डी.एस.आर. अनुसार गहराई 0.6 व माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 0.6 एवं सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स के अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा को देखते हुये 47520 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 47520 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	50,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1570 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,57,000	50,000
3	Plantation (26000 plants will be planted & Distribution during the first year).	20,50,000	1,00,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print - 1000 Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure	1,50,000	--
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 39 Labour @ 500 Rs. = 19,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 39	Nil	39,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 39 labor @1000 Rs.	39,000	40,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	10,000
12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
14	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	29,56,000	5,55,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम ककहरा के हाई स्कूल में वाटर कूलर के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा हेतु	1,50,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 26000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खसए घासए करौंदाए करंजए अर्जुन एवं जामुनए बॉसए बेरए आमए शहतूतए लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ष	5000,
2	अंबेडकर पार्क में पौधे लगाए जाएंगे	आँवलाए मुनगाए अमरूदए सीताफलए पपीताए आमए नींबूए बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	5000,
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आमए हाइब्रिड बेरए आँवलाए मुनगाए सीताफलए नींबूए बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	16000,

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा |
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा |
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे |
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

59. Case No. P2/342/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.150 Hectare, Khasra No.-1274, 1290 (न्यू - 121, 1846), in Village - Jakhmoli, Tehsil - Bhind, District - Bhind (MP), Maximum Production - 37350 cum per annum [MIN/446743/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 4.15 Ha.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

स्थल	Village – Jakhmoli & Tehsil – Bhind, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	न्हीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	न्हीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (जखमौली) दिनांक - 12.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	न्हीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 37,350 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1121/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.150 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अनापत्ति	क्रमांक 1121/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1121/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला भिंड गोपालपुरा राजमार्ग स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जखमौली जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-37 के सरल क्रमांक- 73 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। खनन क्षेत्र सिन्ध नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 4.150 हेक्टेयर

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 1.50 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 37350 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 37350 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरूकरने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST		
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	50,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 710 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	71,000	50,000
3	Plantation (3804 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,85,300	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print - 1000 Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
6	Water harvesting recharge structure	1,00,000	--
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	50,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	50,000	10,000
9	Occupational health Survey 22 Labour @ 500 Rs. = 11,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 22	Nil	22,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 22 labor @1000 Rs.	22,000	40,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	10,000
12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
14	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	8,88,300	4,38,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम जखमौली के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण	1,00,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा हेतु	
2	ग्राम जखमौली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा हेतु	1,00,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3804 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खसए घासए करौंदाए करंजए अर्जुन एवं जामुनए बाँसए बेरए आमए शहतूतए लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ञ	634
2	अंबेडकर पार्क में पौधे लगाए जाएंगे	आँवलाए मुनगाए अमरूदए सीताफलए पपीताए आमए नींबूए बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	634
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आमए हाइब्रिड बेरए आँवलाए मुनगाए सीताफलए नींबूए बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	2,536

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

60. Case No. P2/340/24 RAMAKANT PANDAY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.500 Hectare, Khasra No.-5234, in Village - BILAW , Tehsil - Ron, District - Bhind (MP), Maximum Production - 53970 cum per annum [MIN/446940/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person –Dinesh Kumar Pathak) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Dinesh Kumar Pathak			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 3.50 Ha.			
स्थल	Village – Bilaw & Tehsil – Bhind, District – Bhind (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हाँ	हाँ		
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बिलाव) दिनांक - 12.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 53,970 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1129/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.748 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1129/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिंड के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1129/खनिज/2023 भिंड दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला भिंड गोपालपुरा राजमार्ग स्थित है।			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिलाव जिला भिंड के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.12.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • सिन्ध नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-31 के सरल क्रमांक- 52 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र सिंध नदी पर स्थित है, खनन क्षेत्र कुल 3.500 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु माईनिंग प्लान एवं डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.75 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये आवेदन अनुसार 53970 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 53970 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with Private Water Tanker for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	40,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 550 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	55,000	1,000
3	Plantation (3492 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,61,900	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print – 1000 Trees Adaptation	1,50,000	1,00,000
6	Water harvesting recharge structure	1,00,000	--
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
9	Occupational health Survey 31 Labour @ 500 Rs. = 15,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 31	Nil	31,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 31 labor @1000 Rs.	31,000	10,000
11	First Aid Kits , Number of kits 50	40,000	10,000
12	Accidental Cause	50,000	--
Solid Waste Management			
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	15,000
14	Signage and Caution Board	20,000	1,500
	Total EMP Cost	10,07,900	3,58,500

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बघेली बहादुरपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में फंड जमा करने हेतु	1,00,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3492 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खसए घासए करौंदाए करंजए अर्जुन एवं जामुनए बॉसए बेरए आमए शहतूतए लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ष	582
2	अंबेडकर पार्क में पौधे लगाए जाएंगे	आँवलाए मुनगाए अमरूदए सीताफलए पपीताए आमए नींबूए बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	582
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर (किया जाना	आमए हाइब्रिड बेरए आँवलाए मुनगाए सीताफलए नींबूए बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	2,328

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

61. Case No. P2/400/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 11.780 Hectare, Khasra No.- 245, 363, 1209, 01, in Village - NADAWAN GODHANKAP, Tehsil - Barhi, District - Katni (MP), Maximum Production - 169632 cum per annum [MIN/444962/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 245,363,1209,01 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 11.780 हे.
स्थल	ग्राम – नदावन गोधनकांप, तहसील –बरही, जिला –	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	कटनी (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम नदावन गोधनकांप रेत खदान, दिनांक- 19/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा नदावन गोधनकांप रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,62,632 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,62,632 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2178 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (05) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 44.77 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 56.55 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2178 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2178 दिनांक

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में भौक्षणिक संस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टोन / दूरदर्शन / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि में कोई जलीय निकाय / नदी / तालाब / नहर / बांध / स्टॉप डैम / ग्रामीण कच्चा रास्ता / पक्का रास्ता / नाला स्थित नहीं हैं । मानव बसाहट 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, भौक्षणिक संस्था 200 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं भामान घाट 300 मीटर की दूरी पर स्थित है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नदावन, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 20/04/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	हलफल नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-29 के सरल क्रमांक-42 एवं पेज नं.-38 के सरल क्रमांक-42 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 11.780 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में अपस्ट्रीम पर 160 मीटर की दूरी पर ब्रिज है। अतः

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

नॉन माईनिंग क्षेत्र 4.88 हे. छोड़ने पर 6.96 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । सेन्ड गाईड लाईन अनुसार रेत उपलब्धता मात्रा खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.40 मीटर रखी गई है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 50112 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 50112 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No.	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		1,80,000
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(200X150 = ₹3,00,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500 = ₹1,50,000)	76,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(6200X50 = ₹3,10,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (79 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	79,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 91	80,000	16,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice	-	91,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

	in a year) (For 91 Labors -91× 500 × 2)			
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		40,000	4,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 91 workers - 91× 1500)		1,36,500	18,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	2,00,000	2,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	50,000	-
	Total		14,82,500/-	7,89,000/-

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 3.22 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
ग्राम नदावन गोधनकांप में रोड लाईट के लिए ।	32,000
नदावन गोधनकांप गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए ।	90,000
ग्राम पंचायत भवन नदावन गोधनकांप के निर्माण कार्य हेतु 2,00,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	2,00,000
कुल	3,22,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 6200 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	----------------------------------	---------------------	---------------------

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	6200
कुल			8500
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

62. Case No. P2/460/24 SHASHIKANT TIWARI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.060 Hectare, Khasra No.- 157, in Village - BARMANKHEDI, Tehsil - Jirapur, District - Rajgarh (MP), Maximum Production - 16944 cum per annum [MIN/445713/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS उपरोक्तानुसार

63. Case No. P2/121/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.90 Hectare, Khasra No.- 231/1 in Village - PUNI, Tehsil - Waraseoni, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 54000 cum per annum [MIN/450604/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें खनन क्षेत्र के दक्षिण में नदी के डाउन स्ट्रीम में 217 मी. पर रोड ब्रिज है । अतः सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था/ब्रिज कापेरिशन का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS- सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये ब्रिज कापेरिशन/ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

64. Case No. P2/116/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.50

Hectare, Khasra No.- 12 in Village - GUNAI, Tehsil - Khairlanji, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 32400 cum per annum [MIN/450598/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अक्टूबर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें खदान क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। अतः खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

ADS- खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

65.Case No. P2/128/24 RAJEEV SAXENA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.546 Hectare, Khasra No.- 87 in Village - Bakwadi, Tehsil - Rajpur, District - Barwani (MP), Maximum Production - 7000 cum per annum [MIN/450453/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें खनिज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है, एवं पास में स्टाप डेम है। अतः खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

ADS- खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

66. Case No. P2/403/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 8.030 Hectare, Khasra No.-122, in Village - GHUGHRI, Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), Maximum Production - 130086 cum per annum [MIN/444838/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

ADS खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

67. Case No. P2/124/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.545 Hectare, Khasra No.- 25 in Village - Ekalbara Naveen, Tehsil - Rajpur, District - Barwani (MP), Maximum Production - 4000 cum per annum [MIN/450561/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

ADS खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

68. Case No. P2/467/24 HARISHANKAR SHUKLA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 223/551, in Village - SEMARPAKHA , Tehsil - Jaisinghnagar, District - Shahdol (MP), Maximum Production - 108000 cum per annum [MIN/444418/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र कुल 6.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 600 मीटर की दूरी पर ब्रिज है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में “ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे”, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

ADS उपरोक्तानुसार

69. Case No. P2/127/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.659 Hectare, Khasra No.- 59, 80 in Village - Goi, Tehsil - Sendhwa, District - Barwani (MP), Maximum Production - 5000 cum per annum [MIN/450659/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । खनन क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 105 मी. पर रोड ब्रिज है । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 जून 2024

के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार' पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

70. Case No. P2/436/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.-735, in Village - BORAS-1 , Tehsil - Udaipura, District - Raisen (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum [MIN/445371/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई खनन क्षेत्र कुल 4.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में ब्रिज है । अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में “ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना संबंधित विभाग/संस्था जो संरचना की देखरेख व रख-रखाव की जिम्मेदार है, अर्थात् संधारण किया जा रहा है, संबंधित से ब्रिज, रपटा, पुल, पुलिया, इन्टेक वेल, स्टापडेम, स्थाई एवं अस्थाई संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये कितनी दूर तक अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम में रेत खनन को प्रतिबंधित किया जावे”, स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

ADS उपरोक्तानुसार

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

- exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 - 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 - 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

	तीन वर्षों तक ।	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम ढतममकपदह ब्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे